

महाशिला गाउँपालिका, पर्वत
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको दरबन्दी तेरिज

| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | स्वीकृत दरबन्दी | अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरबन्दी | बाँकी दरबन्दी | कैफियत |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | ८ औं | प्रशासन | सा.प्र. | | १ | | | |
| २ | इन्जिनियर | ७/८ औं | इन्जि. | सिभिल | | १ | | १ | |
| ३ | अधिकृत | ७/८ औं | शिक्षा | शि.प्र. | | १ | | १ | |
| ४ | अधिकृत | ७/८ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | १ | |
| ५ | अधिकृत | ६ औं | प्रशासन | सा.प्र. | | २ | | २ | |
| ६ | आन्तरिक लेखापरीक्षक | ५ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | १ | |
| ७ | सहायक | ५ औं | प्रशासन | सा.प्र. | | ४ | | ४ | |
| ८ | कम्प्युटर अपरेटर | ५ औं | विविध | | | १ | | १ | |
| ९ | लेखा सहायक | ५ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | १ | |
| १० | प्रा.स. | ५ औं | शिक्षा | शि.प्र. | | १ | | १ | |
| ११ | हे.अ. | ५/६ औं | स्वास्थ्य | हे.ई. | | १ | | १ | |
| १२ | सब-इन्जिनियर | ५ औं | इन्जि. | सिभिल | | १ | | १ | |
| १३ | अ.सब.इन्जिनियर | चौथो | इन्जि. | सिभिल | | १ | | १ | |
| १४ | स. महिला विकास निरीक्षक | चौथो | विविध | | | १ | | १ | |
| १५ | खा.पा.स.टे. | चौथो/पाचौं | इन्जि. | सिभिल | स्थानीटरी | १ | | १ | |
| कार्यालय तर्फ जम्मा | | | | | | १९ | ० | १८ | |
| वडा कार्यालय (६ वटा) | | | | | | | | | |
| १ | सहायक | ५ औं | प्रशासन | सा.प्र. | | २ | | २ | |
| २ | सब-इन्जिनियर | ५ औं | इन्जि. | सिभिल | | २ | | २ | |
| ३ | सहायक | चौथो | प्रशासन | सा.प्र. | | ४ | | ४ | |
| ४ | अ. सब-इन्जिनियर | चौथो | इन्जि. | सिभिल | | ४ | | ४ | |
| | | | | | | | | ० | |
| वडा कार्यालय तर्फ जम्मा | | | | | | १२ | ० | १२ | |
| कुल जम्मा | | | | | | ३१ | ० | ३० | |

नोट : कुनै स्थानीय तहमा तृतीय तहको कर्मचारी कार्यरत भएमा निजलाई स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसारको मिल्दो चौथो तहमा कामकाज लगाउन सकिनेछ । त्यस्तो पदमा कार्यरत कर्मचारी जुनसुकै कारणबाट रिक्त भएमा सो पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

संगठन संरचना भित्र नपरेका सरसफाई, दमकल सञ्चालन, एम्बुलेन्स सञ्चालन, नगर प्रहरी जस्ता स्थायी कर्मचारीलाई हाल कार्यरत रहेकै पदमा कामकाज लगाउन सकिनेछ र त्यस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारी कुनै कारणबाट रिक्त भएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कामकाज गराउनु पर्नेछ ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका खा.पा.स.टे., चौथो र पाँचौं कर्मचारीहरूलाई निजहरूको शैक्षिक योग्यता समेतको आधारमा सब-ई., अ.स.ई. वा प्रा.स. को पदमा कामकाज लगाउन सकिनेछ ।

यस दरबन्दी भन्दा बाहेक गाउँपालिकाको स्थायी कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाले खटाए बमोजिमको काम गर्नु पर्ने छ ।

सिंहदरवार, काठमाडौं

सचिव ।